झारखण्ड सरकार
ऊर्जा विभाग
झारखण्ड रिन्युएबुल इनर्जी डेवलपमेन्ट एजेन्सी (ज्रेडा)

तृतीय तल्ला, एस0एल0डी0सी0 भवन, कुसई कॉलोनी, डोरंडा, रॉची–834002
फोन संख्या–0651–2491161, फैक्स संख्या–0651–2491165, email: info@jreda.com

किसान भाईयों के लिए सिंचाई कार्य के लिए 90% सरकारी अनुदान पर 1.0 Hp, 2.0 Hp एवं 5.0 Hp सोलर पम्प सेट योजना

क्रमांक	पम्प का प्रकार	कुल लागत राशि (प्रति प्रम्प सेट)	लाभुक अंशदान की राशि (प्रति प्रम्प सेट)
1	1.0 Hp DC	1,98,374/- रूपए	19,837/- रूपए
2	2.0 Hp DC	2,27,000/- रूपए	22,700/- रूपए
3	5.0 Hp AC	4,84,796/- रूपए	48,480/- रूपए

* 2.0 Hp AC सोलर पम्प के संबंध में सूचना अलग से, कुछ समय बाद, प्रचारित की जाएगी।

- इच्छुक किसान उक्त सोलर पम्प सेट प्राप्त करने के लिए ज्रेडा द्वारा निर्धारित **विहित प्रपत्र में आवेदन** मुखिया/जिला कृषि पदाधिकारी/जिला परिषद्/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी/ज्रेडा पदाधिकारी के अनुशंसा के साथ सीधे ज्रेडा कार्यालय में जमा कर सकते हैं।
- इच्छुक किसान को 1.0 Hp एवं 2.0 Hp के लिए 4/6 (चार/छः) इंच तथा 5.0 Hp के लिए 8 (आठ) इंच व्यास का बोरिंग (Boring) अच्छी Working Condition में स्थल पर सोलर पम्प लगाने से पहले उपलब्ध कराना होगा।
- **आवेदन** पत्र पर एक स्वहस्ताक्षरित फोटो (पासपोर्ट साईज) के साथ (1) ID Proof **पहचान पत्र** (आधार कार्ड/वोटर कार्ड आदि), (2) **आवासीय प्रमाण** Address Proof (आधार कार्ड/वोटर कार्ड/राशन कार्ड/बिजली बिल आदि), (3) **जमीन की अद्यतन लगान रसीद की स्वअभिप्रमाणित छायाप्रति**, (4) निर्धारित व्यास/साईज का बोरिंग (Boring) अच्छी Working condition में कार्य प्रारंभ होने से पहले पम्प अधिष्ठापन स्थल पर उपलब्ध कराने की सहमति (Undertaking) ज्रेडा कार्यालय में जमा करना होगा, (5) **लाभुक अंशदान की राशि जमा करने के संबंध में** बाद में अलग से सूचित किया जाएगा।
- योजना की विस्तृत जानकारी तथा आवेदन का प्रपत्र ज्रेडा वेबसाईट www.jreda.com पर उपलब्ध है। इसके अलावा अधिक जानकारी के लिए ज्रेडा ई–मेल info@jreda.com पर अपना संवाद भेजकर अथवा टेलीफोन 0651–2491161 पर सम्पर्क किया जा सकता है। ज्रेडा वेबसाईट www.jreda.com से भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं या फैक्स 0651–2491165 पर भी संवाद भेज सकते हैं।
- आवेदन पत्र संलग्न निर्धारित 'प्रपत्र' में भरें तथा मांगी गई सभी सूचनाएँ एवं शर्तें पूरी करें।
- एक से अधिक किसान भी एक छोटा समूह बनाकर सामूहिक आवेदन देकर योजना का लाभ ले सकते हैं।

ह0/–
निदेशक,
ज्रेडा, रॉची।